सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

धर्मपाल वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सावंतसर वगैरा

अपील प्रकरण सं0 57 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
23.11.2020	अधिवक्ता उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व है जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत जाकर पारित किया गया है जो किसी प्रकार से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण की चक रामसरा कुम्हारान तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 की वर्तमान रबी सम्वत् 2076 की फसल गिरदावरी के अनुसार उक्त कृषि भूमि में चना की फसल विजान्द की हुई है। वर्तमान समय में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कोई भी रास्ता संचालित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा फसल गिरदावरी की प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अगर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कियान्वति में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से रास्ता खुलवाया जाता है तो प्रार्थीगण की कृषि भूमि में काश्त फसल नष्ट हो जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर, सामान्य जन के हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य जन के नागरिकों के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसमें से रास्ता संचालित ही नहीं रहा में से रास्ता खुलवाए जाने का आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.11.2020 की कियान्वति ताफैसला अपील स्थगित रखी जावें तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक रामसरा कुम्हारान के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 की मौके की यथास्थिति कायम रखी जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई – 1. आर.आर.टी. 2019 (2) पेज– 860 2. आर.आर.डी. 2010 पेज– 507 3. आर.आर.डी. 1994 पेज– 152 4. आर.आर.डी. 1995 पेज– 469 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कहना कि सामान्य जन के नागरिकों के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसमें से रास्ता संचालित किया जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया जबकि प्रार्धना में जगदीशप्रसाद के हस्ताक्षर है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 पेश की है जिसमें उसका नाम है। मौके पर चक रामसराकुम्हारन के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1 में बने लगभग बने कमरे	

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.12.20

अपीलार्थी के जरिये अधिवक्ता उपस्थित आने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवानी अपील में अपीलांट का रेस्पोडेन्ट्स के साथ राजीनामा हो चुका है जिस कारण अपीलांट उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अपीलांट अपील में इसी स्तर पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील की पत्रावली को आज की पेशी में लिया जाकर इसी स्तर पर दाखिल दफतर करने की कृपा करें। अतः अपीलार्थी का लोक अदालत की भावना से समझौता हो जाने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner